

दल / खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन करने के लिये खिलाड़ियों को संचालनालय द्वारा भोजन, आवास एवं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

- (5) उपरोक्त आर्थिक सहायता दिव्यांग वर्ग की प्रतियोगिताओं हेतु भी प्रदान की जा सकेगी।

12. खिलाड़ियों को प्रतिमाह सम्मान निधि-

- (1) पात्रता - खिलाड़ी मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो। खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता (ओलम्पिक/पैरा ओलम्पिक/एशियन गेम्स) में पदक प्राप्त कर प्रदेश को गौरवान्वित किया हो। खिलाड़ी की न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो।
- (2) आवेदन की प्रक्रिया- आवेदक को सम्मान निधि प्राप्त करने हेतु संचालनालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संचालक, खेल और युवा कल्याण, म.प्र को प्रस्तुत करना होगा।
- (3) भारत सरकार की "उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन योजना" के प्रावधानों के अनुरूप पदक विजेता खिलाड़ियों को निम्नानुसार मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है-

क्र	खिलाड़ियों की श्रेणी	सम्मान निधि प्रतिमाह
1	ओलम्पिक गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ी	15000
2	एशियन गेम्स (एशियाड) में पदक विजेता खिलाड़ी	12000
3	पैरा ओलम्पिक गेम्स में पदक विजेता खिलाड़ी	10000

13. निरसन- इस नियम के प्रभावशील होते ही पूर्व से प्रचलित समस्त संबंधित नियम और विज्ञप्तियाँ निरसित हो जाएंगी।